सातवीं विकास संवाद मीडिया फैलोशिप 2011

समन्वयक, विकास संवाद मीडिया फैलोशिप
ई-7/226, प्रथम तल, अरेरा कॉलोनी, धनवन्तरी परिसर के सामने, शाहपुरा, भोपाल, फोन : 0755-4252789
email :vikassamvad@gmail.com, Website: mediaforrights.org

मध्यप्रदेश के पत्रकारों के लिए लेखन और शोध फैलोशिप

विकास के मुद्दों पर मध्यप्रदेश के प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों के लिये विकास संवाद फैलोशिप 2011 की घोषणा की गई है। इस फैलोशिप के तहत मध्यप्रदेश में कार्यरत पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र पत्रकारों को निम्न विषयों पर छह माह की अवधि के लिए फैलोशिप दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी, 2011 है।

फैलोशिप के विषय

1. बहिष्कार (विकास परियोजनाओं के संदर्भ में)
2. पलायन और बाल अधिकार
3. बाल व्यापार
4. आदिवासी स्वास्थ्य
5. शहरी गरीबी
6. शिक्षा

(विषयों के संदर्भ में विस्तार अंतिम दो पृष्ठों पर दिया जा रहा है।)

इन छह फैलोशिप में से एक फैलोशिप इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये व शेष पांच फैलोशिप हिन्दी व अंग्रेजी के प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के लिये है। फैलोशिप की सम्मान राशि प्रतिमाह 12,000 रूपए है जिसमें यात्रा व्यय भी शामिल है।

फैलोशिप के लिये चयन के आधारों के संदर्भ में यह तय है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चार-पांच वर्ष का सक्रिय अनुभव वाले मुद्दों की पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों एवं महिला पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास संवाद के फैलोशिप के दरम्यान फैलो को किसी अन्य फैलोशिप करने की पात्रता नहीं होगी।

छह माह की फैलोशिप में संबंधित विषय पर फैलो को एक शोध-पत्र तैयार करना होगा। उसे शोध के लिए एक माह की छुट्टी लेकर या प्रत्येक माह में कम से कम पांच दिन का क्षेत्र भ्रमण करना अनिवार्य है।

आवेदनों पर विचार कर उम्मीदवारों के चयन का कार्य वरिष्ठ संपादकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक स्वतंत्र समिति करेगी। विकास संवाद फैलोशिप से संबंधित आवेदन-पत्र का प्रारूप पत्रकार अपने संपादक के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ई-मेल भेजकर या पत्र लिखकर विकास संवाद से आवेदन पत्र मंगाया भी जा सकता है। www.mediaforrights.org से आवेदन डाउनलोड भी किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2011 है। आवेदन निम्न पते पर जमा किए जा सकेंगे।

समन्वयक, विकास संवाद मीडिया फैलोशिप
ई-7/226, प्रथम तल, अरेरा कॉलोनी, धनवन्तरी परिसर के सामने, शाहपुरा, भोपाल, फोन : 0755-4252789
email :vikassamvad@gmail.com, Website: mediaforrights.org

सातवीं विकास संवाद मीडिया फैलोशिप 2011

नियम

- विकास संवाद फैलोशिप के अंतर्गत चयनित आवेदक को निर्धारित अवधि तक नियमानुसार कार्य करना होगा, जिसमें प्रत्येक माह उन्हें अनिवार्यतः कम से कम चार दिन अध्ययन भ्रमण करना होगा।

- प्रिंट मीडिया के फैलो को हर माह अपने मुद्दे पर प्रतिष्ठित समाचार–पत्र/पत्रिका में चार सामग्रियों का प्रकाशन कराना होगा। छह माह में कम से कम 15 आलेखों या विस्तृत समाचारों के प्रकाशन की अनिवार्यता रहेगी। 5 नीतिगत् मुद्दों पर विस्तृत आलेख 1500 शब्दों में होना अनिवार्य है, जिन्हें चाहें तो वेब/समाचार पोर्टल पर भी प्रकाशित करा सकते हैं।

- इलेक्ट्रानिक मीडिया के फैलो को 6 माह में 6 स्टोरी तथा बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में देना अनिवार्य है।

- फैलोशिप में चयनित विषय पर फैलोशिप की समाप्ति पर फैलो को एक विस्तृत शोधपत्र व एक अनुभव आधारित रिपोर्ट चयन समिति को प्रस्तुत करना होगा।

- प्रत्येक फैलो को फैलोशिप के रूप में निर्धारित अवधि तक प्रत्येक माह बारह हजार रुपए (8,500 रुपए सम्मान राशि और बाकी यात्रा व्यय) की सम्मान राशि दी जाएगी, जिसमें यात्रा व्यय एवं अन्य सभी खर्च समाहित होंगे। फैलोशिप की राशि तीन समान किस्तों में, जिसमें पहली किस्त, फैलोशिप कार्य शुरू करते समय, दूसरी किस्त मध्यावधि समीक्षा के बाद और तीसरी किस्त अंतिम रिपोर्ट और शोध–पत्र जमा करने के बाद दी जाएगी।

- विकास संवाद द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थिति अनिवार्य होगी।

- कार्य संतोषजनक और मापदण्डों के अनुरूप न होने पर समीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर फैलोशिप को बीच में समाप्त किया जा सकता है।

- विकास संवाद के फैलोशिप के दरम्यान फैलो को किसी अन्य फैलोशिप करने की पात्रता नहीं होगी।
- फैलो अपने चुने हुये विषय पर प्रकाशित/लिखित आलेखों को संकलन के रूप में प्रकाशित कराने का अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं।

- फैलोशिप के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति को मुद्दों से संबंधित घटनाओं, नीति संबंधी पक्षों, राजनैतिक एवं सामाजिक विचारधारा से जुड़े पक्षों पर समान रूप से लेखन करना होगा।

- बेहतर अध्ययन एवं ठोस कार्य के लिए यह सुझाव है कि आप भौगोलिक क्षेत्र, विषय के विभिन्न पक्ष, उपलब्ध संदर्भ व्यक्ति एवं सामग्री आदि बिन्दुओं पर योजनाबद्ध ढंग से कार्य योजना बनाकर कार्य करें।

समन्वयक, विकास संवाद मीडिया फैलोशिप
ई–7/226, प्रथम तल, अरेरा कॉलोनी, धनवन्तरी परिसर के सामने, शाहपुरा, भोपाल, फोन : 0755–4252789
email :vikassamvad@gmail.com, Website: mediaforrights.org

सातवीं विकास संवाद मीडिया फैलोशिप 2011

फैलोशिप चयन के आधार

- मध्यप्रदेश में कार्यरत।
- पत्रकारिता में पांच वर्ष का अनुभव।
- विकास के मुद्दों पर लेखन का अनुभव।
- फैलोशिप में शोध के लिए एक माह की अनिवार्य छुट्टी की सहमति।
- प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन भ्रमण में सक्षमता और अभिरुचि।
- अपने अखबार के संपादक से फैलोशिप के अंतर्गत तैयार सामग्री के प्रकाशन का सहमति–पत्र ।
- स्वतंत्र पत्रकार के संबंध में कम से कम दो प्रतिष्ठित समाचार–पत्र/पत्रिका के संपादकों की सहमति और अनुशंसा–पत्र।
- चयनित विषय पर अवधारणात्मक समझ।

संलग्नक

1. आवेदन पत्र।
2. बायोडाटा।
3. अनुभव प्रमाण–पत्र।
4. चयनित विषय की अवधारणात्मक समझ पर 1500 शब्दों के एक आलेख के साथ फैलोशिप के तहत काम करने की रणनीति दर्शाते हुए एक प्रस्ताव (जिसमें विषय चयन का आधार, विषय से जुड़े विभिन्न पहलू, अध्ययन क्षेत्र आदि का जिक्र हो)।
5. चयनित विषय पर किए जाने वाले शोध का प्रस्ताव ।
6 फैलोशिप के तहत तैयार सामग्री के प्रकाशन हेतु संपादक का सहमति–पत्र।
(स्वतंत्र पत्रकार के लिए दो संपादकों का सहमति–पत्र)।
7 सामाजिक मुद्दों पर पूर्व प्रकाशित पांच आलेखों/समाचारों की छाया प्रति (पांच से अधिक नहीं)। इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए उनके द्वारा कवर की गई स्टोरीज की सीडी या स्क्रिप्ट।
8 पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में आपके कार्य को जानने वाले दो संदर्भ व्यक्तियों के नाम।

आवेदन की अंतिम तिथि : 5 फरवरी 2011

समन्वयक, विकास संवाद मीडिया फैलोशिप
ई–7/226, प्रथम तल, अरेरा कॉलोनी, धनवन्तरी परिसर के सामने, शाहपुरा, भोपाल, फोन : 0755–4252789
email :vikassamvad@gmail.com, Website: mediaforrights.org

विकास संवाद मीडिया फैलोशिप 2011

आवेदन–पत्र

विषय – .....

नाम .....आयु ..... लिंग .....

माता व पिता का नाम .....

पता.....

ई मेल ..... ब्लॉग.....

फोन (एसटीडी कोड सहित) – निवास.....कार्यालय..... .....मोबाइल.....

शैक्षणिक योग्यता	व्यावहारिक अनुभव
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....
4.....	4.....

मीडिया में सामाजिक मुद्दों के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में फैलोशिप आपको किस तरह मदद करेगी और आप क्या परिणाम लाना चाहेंगे ?

1. .....

2. .....

3. .....

फैलोशिप मिलने पर रिसर्च और क्षेत्रभ्रमण के लिए आपकी क्या योजना होगी ?

.....

(हस्ताक्षर)

समन्वयक, विकास संवाद मीडिया फैलोशिप
ई–7/226, प्रथम तल, अरेरा कॉलोनी, धनवन्तरी परिसर के सामने, शाहपुरा, भोपाल, फोन : 0755–4252789
email :vikassamvad@gmail.com, Website: mediaforrights.org

सातवीं विकास संवाद मीडिया फैलोशिप 2011

विषय विस्तार

बहिष्कार (विकास परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में)

सेज, बड़े बांध, सड़कें, अभ्यारण्य और अब प्रस्तावित परमाणु बिजली घरों की धूम मची है। सरकारें इन बड़ी परियोजनाओं के लिए कंपनियों, औद्योगिक घरानों को खुली छूट देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन वे जो इस पूरी परियोजना के कारण विस्थापित या प्रभावित हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सवाल यह है कि यह कैसा विकास है या दूसरे शब्दों में यह किसके दम पर किसका विकास है? इस कथित आधुनिक विकास की भेंट चढ़ जाते हैं वे लोग जो पहले से ही हाशिये पर हैं? महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और निशक्त जन इस पूरी प्रक्रिया में और पिछड़ जाते हैं। वे सरकार द्वारा, समाज द्वारा, अपने परिवार द्वारा अलग-अलग स्तरों पर बहिष्कार का शिकार होते हैं। अतएव इस विषय में हम देखेंगे कि बड़ी विकास परियोजनाओं के चलते कोई भी समुदाय या व्यक्ति किस तरह से बहिष्कृत होता है और इस बहिष्कार के रुप क्या हैं।

पलायन और बालअधिकार

विगत् पांच वर्षों में बुंदेलखंड और प्रदेश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ रहा है। इस वर्ष भी लगभग 152 तहसीलें सूखे की चपेट में हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर होते हैं और हो रहे हैं। बुंदेलखंड़ में गांव के गांव खाली हैं । गांव में बच्चे बचते हैं या फिर बुजुर्ग। जब यह बच्चे परिवारों के साथ पलायन पर जाते हैं तो वहां पर रहने की बेतरतीब परिस्थितियों के साथ-साथ उनके लिए न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के कोई भी विकल्प नहीं होते हैं। न उन्हें आंगनवाड़ी का लाभ मिल पाता है और ना ही किसी शैक्षिक संस्था का। ऐसे में उनके सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार चुनौती बन जाता है। और यदि यह बच्चे गांव में हैं तो भी वे इन स्थितियों से दो-चार होते हैं। आज तक सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो यह बता सके कि कितने परिवार पलायन पर जा रहे हैं और उनमें से बच्चे कितने हैं। बच्चों की पूरी संस्कृति, रहन-सहन के तौर तरीकों के साथ-साथ उनके सारे अधिकार भी धूमिल हो जाते हैं।

बालव्यापार

प्रदेश के पांच जिले घोषित रूप से बाल व्यापार के लिए कुख्यात हैं। इन जिलों से लगातार बालिकाओं के बेचे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां से बालक / बालिकाओं की खरीद फरोख़्त की जा रही है, लेकिन वो पुलिस की संवेदनशील सूची में दर्ज नहीं है। पुलिस की भूमिका भी इन प्रकरणों में संदेहास्पद नजर आती है क्योंकि पुलिस या तो इस तरह के प्रकरणों को दर्ज ही नहीं करती है और यदि करती भी है तो इन प्रकरणों को गुमशुदा के प्रकरण माना जाता है। इससे बालव्यापार की सही तस्वीर सामने नहीं आती है। ये सभी बालक-बालिकाएं किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक-बालिका हैं। इन बालिकाओं के साथ अलग-अलग तरह के शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। अतएव बालव्यापार के संबंध में बात करते समय इसे किशोर न्याय अधिनियम के साथ जोड़कर देखना होगा।

आदिवासी स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति (15.17) तथा अनुसूचित जनजाति (20.27) दें तो ये प्रदेश की कुल आबादी का 33. 44 पतिशत हिस्सा होते है, लेकिन यह बेहद चिंता और अफसोस की बात है कि समाज के इस वर्ग को इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि उनके बच्चे कल का सूरज देख पाएंगे या नही। मध्यप्रदेश के प्रति हजार जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में पांच वर्ष के भीतर दम तोड़ देने वाले 94.2 बच्चों की तुलना में अनुसूचित जाति के बच्चों में पांच वर्ष के भीतर दम तोड़ने वाले बच्चों की संख्या 110 प्रति हजार तथा अनुसूचित जनजाति में ऐसे बच्चों की संख्या 140 प्रति हजार है। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों में नवजात, शिशु व बाल मृत्यु दर की इस बढ़ी हुई संख्या के पीछे के कारणों पर अगर गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि इस वर्ग के बच्चों में

कुपोषण तथा एनीमिया की अधिकता, स्तनपान की कमी के अलावा किसी भी तरह के टीकाकरण का न होना ही मुख्य प्रभावी कारण है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे स्वास्थ्य सूचकांक के सभी पैमानों पर लगभग असुरक्षित है। आदिवासी बच्चों के जीवित रह पाने के अवसर बेहद सीमित हैः इनमें 71.4 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है, 82.5 प्रतिशत बच्चे विभिन्न स्तरों की एनीमिया से पीड़ित है। वहीं बीते पांच सालों में ऐसे आदिवासी बच्चों की संख्या महज 11.7 प्रतिशत थी जो जन्म के एक घंटे की अवधि के भीतर स्तनपान कर सके थे। वहीं प्रदेश में ऐसे बच्चों की संख्या 15.9 प्रतिशत थी। इसी तरह आदिवासियों में महज 23.3 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हे सभी बुनियादी टीके लगाए जा सके हों।

आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य के सवाल भी किसी से छिपे नहीं हैं । 60 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का शिकार है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी होता है कि आदिवासियों के स्वास्थ्य के सवालों को अलग से देखा जाए ।

शहरी गरीबी

शहरी गरीबी का चेहरा अभी भी हमारे बीच स्पष्ट नहीं है। हर वर्ष यह झुग्गियों की बढ़ती संख्या में ही नजर आता है। विस्थापन और पलायन भी इसी चक्र का एक पहलू है। शहरी गरीबों के पास आज अस्तित्व का संकट तो है ही साथ ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी है। सभी शहर को सुंदर तो देखना चाहते हैं और जिसकी कीमत शहर की रफ़्तार को थामने चाले मेहनतकशों को शहर से 15–20 किलोमीटर दूर फेंककर वसूली जा रही है। हद तो तब है कि जबकि शहरी गरीब न तो मास्टर प्लॉन का हिस्सा है न ही अन्य नीति/कार्यक्रमों का।

शिक्षा

शिक्षा अब मूल अधिकार है, एक कानून भी आ गया लेकिन इससे क्या शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो पाएगा? यह एक ज्वलंत सवाल है। इस कानून में बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं। अब भी बच्चे की आयु तय नहीं है, समान शिक्षा की बात तो अभी कोसों दूर है, पूर्व स्कूल शिक्षा की बात भी बेमानी लगती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसमें पर्याप्त बैठक व्यवस्था, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, प्रशिक्षित शिक्षक, मध्यान्ह भोजन आदि ऐसे अनेक तत्व हैं जिन पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई है। जब तक इन की पड़ताल नहीं होगी तब तक शिक्षा का अधिकार वास्तव में मिल पाएगा, इसमें संदेह है। हजारों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो बच्चे शिक्षा संस्थानों में हैं वे बेहतर हैं, वहां पर वे भेदभाव का शिकार हैं। यह भेदभाव जातिगत, वर्ग आधारित, लिंग आधारित, समुदाय आधारित होता है और इसमें शामिल होती है पूरी व्यवस्था। शिक्षा का स्तर भी बेहतर न होना बहुतेरे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करता है। साथ ही 2006 मे शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को दंड को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर अपने दिशा–निर्देश जारी किए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस पर प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

समन्वयक, विकास संवाद मीडिया फैलोशिप
ई–7/226, प्रथम तल, अरेरा कॉलोनी, धनवन्तरी परिसर के सामने, शाहपुरा, भोपाल, फोन : 0755–4252789
email :vikassamvad@gmail.com, Website: mediaforrights.org